सं. 26020/19/2010-प्रशा.III

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

डीएलवाई टैक्सियाँ किराए पर लेने के लिए विस्तृत सूचना/शर्तें

****

गृह मंत्रालय अपनी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए डीएलवाई टैक्सियां, एयरकंडीशनर सहित और उसके ि ना, किराए पर लेना चाहता है। इन वाहनों को आवश्यकता के अनुसार मासिक आधार पर तथा कि.मी./घंटे/प्रतिदिन के आधार पर काम में लगाया जा सकता है। कार्य पर लगाए गए जाने वाले वाहन अच्छी हालत में होने चाहिएं तथा इसके साथ चालक भी होना चाहिए ि सके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य दस्तावेज़ हों। वाहन का पंजीकरण दिनांक 1/4/2008 से पहले का नहीं होना चाहिए।

2. इच्छुक पक्ष अपने कोटेशन्स भेज सकते हैं ि नके साथ वाहनों की संख्या तथा अन्य उन सुविधाओं का पूरा विवरण भी भेजा जाना चाहिए जो वे प्रदान कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि कार्य के स्थल नोर्थ ब्लॉक, जैसलमेर हाउस एवं लोकनायक भवन होंगे या फिर कोई अन्य स्थान होगा ि सके बारे में समय-समय पर सूि ात किया जाएगा तथा माइलेज और समय की गणना उसी के अनुसार की जाएगी, न कि गैरेज से गैरेज तक के अनुसार।

3. यदि कोई फर्म केन्द्र सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग को पहले से किराए पर वाहन उपलब्ध कराती रही है तो वह कोटेशन्स के साथ उसका विवरण भी भेजे। उद्धृत दरें एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा परस्पर सहमति से बढ़ाई गई अवधि तक वैध होगी।

4. मुहरबंद कोटेशन्स, ि न पर विधिवत् रूप से "डीएलवाई टैक्सियों के लिए कोटेशन्स" लिखा हो, अधिकतम दिनांक 25.02.2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रशा.III अनुभाग, कक्ष सं. 2ए, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1 में रखे गए निविदा बक्से में जमा करा दी जाए। निर्धारित तारीख/समय के बाद प्राप्त कोटेशन्स पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशन्स 25.02.2010 को अपराह्न 3.30 बजे कक्ष सं. 2ए, नोर्थ ब्लॉक में निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों, जो वहां उपस्थित रहना चाहें, की मौजूदगी में खोली जाएगी।

5. अपनी निविदा भेजते समय निम्नलिखित निबंधन और शर्तों को ध्यान में रखा जाना चाहिएः-

क) उपलब्ध कराई जाने वाली टैक्सी केवल फर्म के नाम से पंजीकृत डीएलवाई (वाणि यक वाहन) होनी चाहिए तथा यांत्रिक रूप से ब ि.या स्थिति में और रूप-सज्जा यानि बाहरी ढांचा/साज-सामान आदि के अनुसार देखने में अच्छी होनी चाहिए तथा उसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जगहों पर आने-जाने का परमिट होना चाहिए। वाहन 01.04.2008 से पहले का पंजीकृत नहीं होना चाहिए।

ख) फर्म को सरकारी क्षेत्र में टैक्सियां उपलब्ध कराने में दौरे एवं यात्रा संबंधी व्यवसाय में कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए और फर्म, वरीयतः नोर्थ ब्लॉक से 5-10 कि.मी. की दूरी में स्थित होनी चाहिए ।

ग) चूंकि इन वाहनों का उपयोग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाना है इसलिए फर्म यह सुनिश्चित करे कि उपलब्ध कराए गए चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य हों। चालक, शालीन एवं शिष्ट होने चाहिएं तथा उनके पास हमेशा मोबाईल फोन होने चाहिएं ि ससे कि अधिकारी किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकें ।

घ) मालिक/फर्म जब कभी आवश्यकता हो, अल्पकालिक सूचना पर डीएलवाई टैक्सियां उपलब्ध कराने की स्थिति में होना चाहिए।

ङ) टैक्सी का चालक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रास्तों से भली-भांति परिि ात होना चाहिए तथा साफ वेशभूषा में/शिष्ट होना चाहिए ।

च) मालिक/फर्म ऐसी स्थिति में होने चाहिएं कि यदि कोई टैक्सी खराब हो जाती है तो उसके बदले में दूसरी टैक्सी उपलब्ध करवा सकें।

छ) उपलब्ध कराए गए वाहन के खराब हो जाने की स्थिति में सारा खर्च फर्म के द्वारा वहन किया जाएगा। खराब वाहन के बदले में तत्काल दूसरा वाहन बदलने की व्यवस्था करनी होगी।

ज) यदि किसी वाहन की मांग की जाती है और वह नियत समय और स्थान पर नहीं पहुंचता है, तो मंत्रालय खुले बाजार से किसी अन्य वाहन को मंगवाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इसके परिणामस्वरूप होने वाले व्यय की कटौती फर्म के लम्बित ि ालों/जमानत राशि आदि में से कर ली जाएगी। इसके अलावा, ऐसी प्रत्येक चूक के लिए 500/- रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

झ) मालिक/फर्म अपने निजी डायरेक्ट फोन (कार्यालय और निवास स्थान) पर उपलब्ध होने चाहिएं ताकि आकस्मिकता वाले मामलों में टैक्सियों को बुलाया जा सके। मोबाईल नम्बर भी दिया जाना चाहिए। फर्म छुट्टियों/रविवारों के दिन भी टैक्सियां मुहैया कराने में सक्षम होनी चाहिए।

ञ) निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरें स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगी।

ट) किसी दुर्घटना (अप्रत्याशित) के मामले में क्षतिपूर्ति तथा संबंधित खर्चे, जो भी हों, फर्म द्वारा वहन/चुकता किए जाएंगे।

6. 25,000/-रुपये की पेशगी की राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गृह मंत्रालय, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में कोटेशन के साथ जमा करनी होगी। संविदा को अन्तिम रूप दिए जाने पर असफल निविदाकर्ताओं को उनकी अग्रिम राशि लौटा दी जाएगी। सफल निविदाकर्ता को संविदा की अवधि के लिए 50,000/-रुपये की जमानत राशि आहरण एवं संवितरण अधिकारी, गृह मंत्रालय के नाम से एफ.डी.आर. के रूप में जमा करनी होगी। हमारी निविदा जांच-पड़ताल की किसी निबंधन/शर्त को तोड़ने पर तथा निविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि फर्म द्वारा प्रदत्त सेवाएं

घटिया/अपूर्ण/असन्तोषजनक हैं, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा फर्म पर बाध्यकारी होगा।

7. निविदाकर्ता कृपया अपनी 15 अंकों की सेवा कर कोड संख्या उद्धृत करें।

8. निविदाकर्ता संलग्न प्रोफार्मा में अपनी अप्रतिबन्धी दरों को अवश्य ही उद्धृत करें। कटिंग/ओवरराइटिंग, यदि हो, तो इसे प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

9. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से िना कोई कारण बताए तथा िना कोई क्षतिपूर्ति किए, स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा फर्म पर बाध्यकारी होगा।

(एन. के. अरोड़ा)
अवर स िव, भारत सरकार

(गृह मंत्रालय की निविदा पूछताछ सं. 26020/19/2010-प्रशा.III)

सेवा में

अवर सचिव (प्रशा.III),
कक्ष सं. 2ए, गृह मंत्रालय,
नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

महोदय,

आपकी दिनांक की निविदा पूछताछ सं. 26020/19/2010-प्रशा.III के संदर्भ में हम किराए पर डीएलवाई टैक्सियों की आपूर्ति के संबंध में अपनी दरें उद्धृत करते हैः-

क्रम सं.	विवरण	गैर ए सी वाहनों के लिए राशि (रु. में) अंकों और शब्दों में (अम्बैसडर/इंडिका/एस्टीम)	ए सी वाहनों के लिए राशि (रु. में) अंकों और शब्दों में (अम्बैसडर/इंडिका/एस्टीम)	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	मासिक आधार पर लगाए गए वाहन के लिए मासिक प्रभार (कृपया प्रतिदिन 2400 कि.मी./240 घंटे दर्शाएं)			
2	प्रति कि.मी./घंटों के आधार पर वाहन			
	क) 40 कि.मी. और 4 घंटे तक (आधा दिन)			
	ख) 80 कि.मी. और 8 घंटे तक (पूरा दिन)			
	ग) 8 घंटे से अधिक प्रति घंटा के लिए अतिरिक्त प्रभार			
3	अन्य कोई प्रभार			

2. मैं/हम आपकी ऊपर उद्धृत निविदा पूछताछ में निर्धारित शर्तों को स्वीकार करते हैं और उसका पालन करने के लिए सहमत हैं।

भवदीय,

(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीखः
टैक्सी स्टैंड/फर्म
का नाम, पता और
कार्यालय की मुहर/सील
(दूरभाष सं. सहित)